बिहार विधान-सभा

(भाग—2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

वृहस्पतिवार, 30 अगस्त, 1984 ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	1
शून्य काल की चर्चाएं :	2-10
(क) बाढ़ से राहत	
(ख) डाक एवं पुलिस में मुठभेड़	
(ग) ग्रामीणों की हत्या	
(घ) हत्या एवं डकैती	
(ङ) गांवों में लगातार हत्याएं	
(च) लिम्का पीने से खूनी पेचिश	
(छ) फौजी जवान की पीटाई	
(ज) पुल का निर्माण	
(झ) स्वास्थ्य विभाग के प्रशासा पदा० पर कार्रवाई	
(ञ) खाद की व्यवस्था	
(ट) सबस्टेशन का निर्माण	
(ठ) गेहूं की आपूर्ति	
(ड) सड़क का निर्माण	
(ढ) गंगा का कटाव	
(ण) राशि का घोटाला	

श्री लालू प्रसाद—मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री सहाय को सरकार हटायेगी ?

अध्यक्ष—वे तो हट गये ।

श्री लालू प्रसाद—रिलीभ नहीं किए गये हैं ।

श्री ब्रज किशोर सिंह—31 तारीख को रिलीभ हो जायेंगे ।

(ख) आवास बोर्ड द्वारा फ्लैट के आवंटन में धांधली ।

श्री सरयू मिश्र—बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा पटना नगर के हनुमान नगर में वर्ष 1981 में 250 मध्य आय वर्गीय मकानों का निर्माण किया गया और आवास बोर्ड की बैठक दिनांक 15 जुलाई, 1981 में वरीयता सूची के आधार पर संबंधित मकानों के आवंटन का निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय के अनुसार उक्त मकानों के एकरारनामा का निबंधन नियमानुसार किया गया, किन्तु आवास विभाग के दिनांक 12 नवम्बर, 1982 के आदेश द्वारा हनुमाननगर के मकानों का आवंटन रद्द कर दिया गया है, जबकि पुराने आवंटी अपने नाम आवंटित आवास में निवास कर रहे हैं । आवास बोर्ड एवं आवास विभाग के परस्पर विरोधी कार्रवाई से पुराने आवंटियों एवं नए आवंटियों के बीच संघर्ष का वातावरण उपस्थित हो गया है । अतः लोकहित के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री टी० मोचीराय मुण्डा—अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा पटना नगर के हनुमाननगर में वर्ष 1981 में 250 मध्यम आय वर्गीय मकानों का निर्माण किया गया परन्तु आन्तरिक एवं वाह्य विद्युतीकरण का कार्य अभी तक नहीं किया जा सका है ।

बोर्ड की दिनांक 15 जुलाई, 1981 को हुई 68वीं बैठक में पूरक कार्यावली संख्या 5 पर जो हनुमाननगर में मध्यम आय वर्ग के अधीन बन रहे 250 मकानों के आवंटन से संबंधित थी, बोर्ड का संकल्प इस प्रकार था :—

"आवंटन उप समिति की जांच प्रतिवेदन कार्यावली के साथ संलग्न नहीं था । अतः निर्णय लिया गया कि उप समिति का जांच प्रतिवेदन जो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा एक दिन के अन्दर प्राप्त कर लिया जाय और उसके अनुसार आवंटनादेश एक साथ शीघ्र निर्गत किया जाय ।" परन्तु बोर्ड के इस संकल्प के अनुसार आवंटन उप समिति के सभी सदस्यों द्वारा कथित प्रतिवेदन हस्ताक्षरित होकर बोर्ड के सामने कभी

प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि उप समिति के सभी सदस्यों ने जांच में भाग नहीं लिया था। बोर्ड कार्यालय में सिर्फ दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन उपलब्ध है। इस प्रकार बोर्ड की 15 जुलाई, 1981 की बैठक की पूरक कार्यावली संख्या 5 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय का कार्यान्वयन नहीं हो सका। इसके बावजूद हनुमाननगर अवस्थित 250 मध्यम आय वर्गीय मकानों में से कुछ का आवंटन निर्धारित आवंटन के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए किया गया।

सरकार ने पूर्ण विचार के उपरान्त नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास) की अधिसूचना संख्या 4288, दिनांक 12 नवम्बर, 1982 द्वारा हनुमाननगर में 250 मध्यम आय वर्गीय मकानों के आवंटन से संबंधित निर्णय को अपास्त करने का आदेश बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 23 के अधीन जारी किया क्योंकि 15 जुलाई, 1981 की बैठक में न तो कोई सूची प्रस्तुत की गई थी और न सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदन ही प्रस्तुत किया गया था। अतः सरकार ने वगैर सूची और बिना आवंटन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर और अनुशंसा के बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को जनहित में स्वीकार नहीं किया और अपास्त करने की अधिसूचना जारी की।

सरकार के उपर्युक्त आदेश से प्रभावित आवंटियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की गयी है। उक्त याचिकाओं में न्यायालय द्वारा आवंटियों को बेदखल नहीं करने का आदेश पारित है। इस प्रकार यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उच्च न्यायालय के फैसले के उपरान्त ही इनके संबंध में निर्णय लेना संभव हो सकेगा। उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस विषय पर वाद-विवाद का प्रश्न नहीं उठता है।

अध्यक्ष—क्या यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जो विषय यहाँ है ?

श्री राजकुमार पूर्वे—मंत्री महोदय, गलत जवाब दे रहे हैं। यह पूरा मामला हाई कोर्ट में लंबित है। अफसर जो इनको पढ़ा देता है वही यहाँ ये पढ़ते हैं। हम इसको चाइलेंज करते हैं। यह सभी मामला लंबित है, अगर लंबित नहीं होगा तो ठीक है, और अगर लंबित होगा तो हम इनके ऊपर प्रीविलेज चलावेंगे।

अध्यक्ष—शांति, शांति। हम अभी इसको स्थगित करते हैं। हाई कोर्ट में जो केस दायर किया गया है, उसकी कापी मुझे मंत्री महोदय दिला दें, तभी इस पर आगे की कार्रवाई होगी।

श्री राजकुमार पूर्वे—हाउस को मिसलीड किया जा रहा है।

अध्यक्ष—जो ध्यानाकर्षण का विषय है, ऐसा विषय पर अगर वहाँ लंबित होगा, तो उसका हम देखेंगे।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—अगर लंबित है तो फिर नया एलोटमेंट ये कैसे कर रहे हैं।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :

सरकारी आदेश की अवहेलना।

श्री विशेश्वर खाँ—अध्यक्ष महोदय, बिहार पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम (भालको) द्वारा देवघर जिले के लिए सोलह स्कीम मोलक्स नामक कम्पनी को वर्ष 1980-81 में आबंटित की गई थी। यह कम्पनी पिछले दो-तीन वर्षों से काम जैसे तैसे छोड़ कर लाखों रुपये का सामान एवं सीमेन्ट का गोलमाल कर भागी हुई है। जब इस सच्चाई का रहस्योद्घाटन पत्रांक 142, दिनांक 6 मार्च, 1984 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, भालको, राँची को हाल ही में पदस्थापित श्री नवल किशोर प्रसाद, अवर क्षेत्रीय प्रबंधक, भालको, देवघर द्वारा किया गया, तो अनियमितता को छिपाने की नियत से उल्टे उन्हीं का स्थानान्तरण भालको के प्रबंध निदेशक द्वारा कर दिया गया तथा दोषी व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उपायुक्त, देवघर और प्रभारी, 20 सूत्री मंत्री, संथालपरगना द्वारा जाँच समिति बैठायी गयी। मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद जाँच होने तक श्री प्रसाद का स्थानान्तरण राज्य सरकार (लघु सिंचाई विभाग) के आदेश से स्थगित कर दिया गया है, परन्तु प्रबंध निदेशक द्वारा अनियमितता को छिपाने की नियत से एक यांत्रिक सहायक अभियंता, जिन्हें सिविल वर्क्स का कोई अनुभव नहीं है, को यहाँ पदस्थापित कर राज्य सरकार के उपर्युक्त आदेश की अवहेलना करते हुए उन्हीं से कार्य कराया जा रहा है। फलस्वरूप श्री प्रसाद को विगत तीन महीनों से वेतन से वंचित होना पड़ रहा है। अतः भालको के प्रबंध निदेशक पर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री दिनेश कुमार सिंह—इसका जवाब 10 सितम्बर को दिया जाएगा।